

राष्ट्रीय अनुसूचति जाति आयोग

प्रलिस के लयि:

[राष्ट्रीय अनुसूचति जाति आयोग, संवधान का अनुच्छेद 338, 89वाँ संशोधन अधनियम, 2003](#)

मेन्स के लयि:

NCSC के कार्य

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय अनुसूचति जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes- NCSC) ने हाल ही में **Zomato** कंपनी के एक वजिआपन को "अमानवीय" और जातवादी बताते हुए उसे नोटिस जारी किया है।

राष्ट्रीय अनुसूचति जाति आयोग:

परचिय:

- NCSC एक संवैधानिक नकाय है जिसकी स्थापना शोषण के खलिाफ अनुसूचति जातियों को सुरक्षा प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक हतियों को बढ़ावा देने एवं उनकी रक्षा करने के लयि की गई थी।

पृष्ठभूमि:

वशेष अधिकारी:

- प्रारंभ में संवधान के अनुच्छेद 338 के तहत एक वशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। इस वशेष अधिकारी को अनुसूचति जाति और अनुसूचति जनजातियों के आयुक्त (Commissioner) के रूप में नामति किया गया।

65वाँ संशोधन अधनियम, 1990:

- संवधान के 65वें संशोधन अधनियम, 1990 द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया।
- 65वाँ संशोधन, 1990 द्वारा एक सदस्यीय प्रणाली को बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचति जाति (SC) और अनुसूचति जनजाति (ST) आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया।

89वाँ संशोधन अधनियम, 2003:

- अनुच्छेद 338 में संशोधन द्वारा अनुसूचति जाति एवं अनुसूचति जनजाति हेतु गठित पूर्ववर्ती राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 2004 में दो अलग-अलग आयोगों में बदल दिया गया, ये हैं:
 - राष्ट्रीय अनुसूचति जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes- NCSC) ।
 - राष्ट्रीय अनुसूचति जनजाति आयोग (National Commission for Scheduled Tribes- NCST) ।

संरचना:

- NCSC में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अतिरिक्त सदस्य होते हैं।
- इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक वारंट द्वारा की जाती है।
 - उनकी सेवा की शर्तों और पद का कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

कार्य:

- अनुसूचति जातियों के लयि संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जाँच एवं नगिरानी करना तथा उनके कामकाज का मूल्यांकन करना;
- अनुसूचति जातियों को अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में वशिषिट शिकायतों की जाँच करना;
- अनुसूचति जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना तथा केंद्र या राज्य के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;
- राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य अवसरों पर, जैसा वह उचित समझे, सुरक्षा उपायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
- अनुसूचति जातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लयि सुरक्षा उपायों एवं अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु केंद्र या राज्य द्वारा किये जाने वाले उपायों के बारे में सफिरशिन करना;
- वर्ष 2018 तक आयोग को [अन्य पछिड़ा वर्ग \(OBC\)](#) के संबंध में भी समान कार्य करने की आवश्यकता थी। इसे [102वें संशोधन](#)

अनुसूचति जातके उत्थान के लिये अन्य संवैधानिके प्रावधान:

- अनुच्छेद 15: यह अनुच्छेद विशेष रूप से जातके आधार पर भेदभाव के मुद्दे को संबोधित करता है, अनुसूचति जातियों (SC) के संरक्षण और उत्थान पर बल देता है।
- अनुच्छेद 17: यह अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर रोक लगाता है। यह सामाजिक भेदभाव को खत्म करने तथा सभी व्यक्तियों की समानता एवं सम्मान को बढ़ावा देता है।
- अनुच्छेद 46: शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना: यह अनुच्छेद राज्य को अनुसूचति जातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 243D(4): यह प्रावधान क्षेत्र में उनकी आबादी के अनुपात में पंचायतों (स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों) में अनुसूचति जातके लिये सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है।
- अनुच्छेद 243T(4): यह प्रावधान क्षेत्र में उनकी आबादी के अनुपात में नगर पालिकाओं (शहरी स्थानीय निकायों) में अनुसूचति जातके लिये सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करता है।
- अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं (क्रमशः) में अनुसूचति जातियों एवं अनुसूचति जनजातियों के पक्ष में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????:

प्रश्न. वर्ष 2001 में आर.जी.आई. ने कहा कि दलित जो इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, वे एक भी जातीय समूह नहीं हैं क्योंकि वे विभिन्न जाति समूहों से संबंधित हैं। इसलिये उन्हें अनुच्छेद 341 के खंड (2) के अनुसार अनुसूचति जाति (SC) की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है, जिसमें शामिल करने हेतु एकल जातीय समूह की आवश्यकता होती है। (मुख्य परीक्षा, 2014)

प्रश्न. क्या राष्ट्रीय अनुसूचति जाति आयोग (NCSC) धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचति जातियों के लिये संवैधानिक आरक्षण के क्रियान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है? परीक्षण कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2018)

स्रोत: द हिंदू